राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.17(19) निविवि / नियम / 2019 जयपुर दिनांकः– 21 DEC 2022

अधिसूचना

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 10 के उप–नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के अधीन स्थापित होने वाली ईकाईयों, उद्योगों की स्थापना के लिये कृषि भूमि के अनुज्ञा एवं आवंटन पर उक्त नियमों के नियम 9 के उप–नियम (1) के अधीन देय प्रीमियम से शत–प्रतिशत छूट विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14.09.2020 द्वारा प्रदान की गई थी। उक्त छूट राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2022 की अवधि 31 मार्च 2027 तक बढाई जाती है।

राज्यपाल के आदेश से,

21/12/22

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर समस्त स्थानीय निकायों को प्रस्तारित किये जाने हेतु।
7. आयुक्त, उद्योग विभाग, राज0 जयपुर।
8. आयुक्त, जयपुर / जोधपुर / अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर / जोधपुर / अजमेर।
9. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
10. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
11. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम / द्वितीय / तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
12. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
13. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
14. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी / उपविधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, राज0 जयपुर।
15. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
16. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

CamScanner